न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2023/19

अपील संख्या – 12/23

रामजीलाल पुत्र नानगा जाति बैरवा निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
अपीलांट

बनाम

1. परसादी पुत्र नानगा
2. माया पुत्री मोहरू
3. पप्पू पुत्र भोरया
4. अंगूरी पत्नि लक्ष्मण
5. सीमा पुत्री लक्ष्मण जातियान बैरवा निवासीयान निवासीयान नौगांव तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
6. मनराज पुत्र लक्ष्मण
7. भारती पुत्री लक्ष्मण
8. मोनिका पुत्री लक्ष्मण नाबालिंग जरिये संरक्षक माता अंगूरी पत्नि लक्ष्मण जाति बैरवा निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
9. भूरया पुत्र गोरधन
10. राजू पुत्र भूरया जातियान बैरवा निवासीयान नौगांव तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
11. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा
12. उप पंजीयक तहसीलदार तलावडा

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 14/21 निर्णय व डिकी दिनांक 27.1.23 न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री तरूण शर्मा

अभिभाषक रेस्पो0 श्याम मोहन शर्मा

दिनांक 12.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 27.01.2023 न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट द्वारा दावा घोषणा खातेदारी,दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि भूमि हाल ख0न0 1017 रकबा 0.33 है0, 1018 रकबा 0.02 है0, 1019 रकबा 0.32 है0, 1020 रकबा 0.74 है0, 1053 रकबा 0.25 है0, 1054 रकबा 0.04 है0, 1055 रकबा 0.03 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.40 है0 व ख0न0 1052 रकबा 0.51 है0, स्थित ग्राम नौगांव तहसील गंगापुर सिटी जो कि नानगा पुत्र चून्या की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। नानगा का अर्सा पूर्व 40 साल पहले देहान्त हो चुका है वादी व प्रतिवादीगण उसके वारिसान है। वादी एवं प्रतिवादी नानगा के वारिसान है तथा एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक है। जिसमें वादी व प्रतिवादी का जन्म से हित निहित है। उक्त भूमि को वादी के पिता नानगा अपने जीवनकाल में काश्त करते थे उनकी मृत्यु उपरान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादी एवं प्रतिवादी उक्त भूमि को समान हिस्सो मे विभाजित कर काश्त करते चले आ रहे है। वादी के भाई मोहरू ही सारा कार्य करते थे तथा चालाक व्यक्ति थे। जिन्होने उक्त भूमि को राजस्व कर्मचारियो से साज कर उक्त भूमि को नानगा व अन्य वारिसान की जानकारी दिये बिना सम्पूर्ण भूमि को स्वयं के व माता भौरी के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित करवा लिया जिसकी जानकारी वादी को नही रही। दिनांक 21.7.21 को जब वादी अपने हिस्से की भूमि की सार संभाल कर रहा था तो प्रतिवादी संख्या 2 अपने साथ पटवारी हल्का को लेकर आई व भूमि दिखाकर उसका नामा० स्वयं के नाम खोलने बाबत कहा इस पर वादी ने कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो यह भूमि सब की शामलाती है इसमे तुम्हारा मात्र 1/3 हिस्सा बनता है। इस पर प्रतिवादी ने कहॉ कि उक्त भूमि हमारे नाम है तुम इस पर से कब्जा हटाने बरना इस भूमि को बेच दूगी व जबरन बेदखल कर दूगी। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड की जानकारी करने पर जानकारी प्राप्त होने पर दावा पेश करना लाजमी हुआ। इस प्रकार उक्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 2 के पिता ने चालाकी से भूमि को अपने नाम गलत रूप से दर्ज करवा लिया जबकि उक्त भूमि मे वादी का 1/3 हिस्सा बनता है। उक्त भूमि पैतृक है जिसमे वादी का जन्म से ही अधिकार निहित है। मैहरू द्वारा उक्त भूमि को राजस्व कर्मचारियो से साज कर राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम गलत रूप से दर्ज करवा लिया गया है। जबकि उक्त भूमि मे वादी का 1/3 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो कि कानून कायदे मे विश्वास नही करते है अपनी बेजा हरकतो से बाज नही आवेगे जब तक उनको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता। इस प्रकार वादी का वाद पत्र इस डिक्री इस प्रकार फरमाया जावे कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 भूमि हाल ख0न0 1017 रकबा 0.33 है0, 1018 रकबा 0.02 है0, 1019 रकबा 0.32 है0, 1020 रकबा 0.74 है0, 1053 रकबा 0.25 है0, 1054 रकबा 0.04 है0, 1055 रकबा 0.03 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.40 है0 व ख0न0 1052 रकबा 0.51 है0, स्थित ग्राम नौगांव तहसील गंगापुर सिटी के 1/2, 1/2, 1/2 काबिज खातेदार काश्तकार है उसी अनुसार सरकारी कागजात व लैण्ड रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी की भूमि ख0न0 1017 रकबा 0.33 है0, 1018 रकबा 0.02 है0, 1019 रकबा 0.32 है0, 1020 रकबा 0.74 है0, 1053 रकबा 0.25 है0, 1054 रकबा 0.04 है0, 1055 रकबा 0.03 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.40 है0 व ख0न0 1052 रकबा 0.51 है0, स्थित ग्राम नौगांव तहसील गंगापुर सिटी के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त मे ना तो कोई मजाहमत नही करे ना ही अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर रेस्पो/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी मिसल के तथ्यो व विधि के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर बिना विवाधक कायम किये व बिना साक्ष्य लिए सरसरी तौर पर बिना विधिक प्रकिया के उक्त निर्णय व डिकी जारी की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर आदेश 14 नियम 2 सीपीसी के आधार पर प्राथमिक विवाधक तय किया जाना चाहिए था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र दावा वादी खारिज किये जाने मे भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी,दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जो कि अपने पैत्रिक अधिकारो के आधार पर पेश किया था तथा उक्त पैत्रिक अधिकारो के आधार पर घोषणा खातेदारी चाही गई थी तथा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे मात्र वाद पत्र देखा जावेगा तथा दावा वादी की सुनवाई का क्षैत्राधिकार मात्र राजस्व न्यायालय को है किन्तु इसके बाबजूद भी दावा वादी खारिज किये जाने मे विधिक भूल की है। आदेश 7 नियम 11 मे मात्र वाद पत्र को देखा जावेगा प्रतिवादी के कथनो पर विचार नही किया जावेगा। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी द्वारा मात्र ख0न0 1017 बाबत आपत्ति उठाई गई थी जबकि अपीलांट द्वारा अन्य ख0न0 1018,1019,1020,1053,1054,1055,1052 स्थित नौगांव बाबत प्रस्तुत किया गया था। उसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादी के सम्पूर्ण दावे को खारिज कर विधिक भूल की है। जो निरस्त योग्य है। अपीलांट की अन्य खातेदारी की भूमि ख0न0 1018,1019,2020,1053,1054,1055 ग्राम नौगांव की राजस्व जमाबंदी मे अपीलांट के पिता की बल्दियत नानग्या ही दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट नानग्या के वारियान है किन्तु उसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो का हवाला अपने निर्णय मे नही दिया है तथा अविधिक रूप से बिना पत्रावली का अवलोकन किये टैक्निकल आधार पर दावा वादी खारिज किये जाने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्त योग्य है। जबकि लॉ एवं कानून की मंशा है कि लॉ व फैक्ट का कोई बिन्दु है तो उस पर बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर दावा खारिज नही किया जा सकता किन्तु उसके पश्चात भी वादी का दावा अधिनस्थ न्यायालय ने खारिज कर विधिक भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.8.99 के जिस आदेश के आधार पर दावा खारिज किया है उक्त दावे मे अपीलांट व उसकी मां छोंटी पक्षकार नही थी तथा कानूनन न्यायालय की डिकी उसी व्यक्ति पर बाध्यकारी है जो उसमे पक्षकार है तथा मौहरू व भौरी ने अपीलांट की मॉ को बिना पक्षकार बनाये दीगर जगह नाता जाने का अंकन करते हुए कोर्ट के साथ घोखाधडी कर उक्त आदेश पारित करवाया है। जबकि यदि अपीलांट की मॉ दूसरी जगह नाते जाती तो पिता नानग्या की भूमि अपीलांट की विरासत मे क्यो आती जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट की मॉ छोटी देवी कही नाते नही गई किन्तु कोर्ट को बिना सत्यता बताये उक्त आदेश फर्जी तरीके से पारित करवाया है तथा इस [illegible] लिये जाने के उपरान्त ही कोई न्यायिक निर्णय मेरिट पर पारित किया जाना चाहिए था [illegible] उसके पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिकी पारित [illegible] है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी संख्या 3 लक्ष्मण का देहान्त हो चुका है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित किया है जो कि आदेश की श्रेणी मे नही आता है व प्रभावशून्य है। रेस्पो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

संख्या 4 ता 8 उसके वारिस है। अधिनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर बिना विधिक प्रकिया अपनाये आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस मे तर्क दिया कि आराजीयात ख0न0 1017 रकबा 0.33 है0 ग्राम नौगांव जिसकी खातेदारी मृतक नानगा व भौरी पत्नि नानगा के नाम दर्ज है। उक्त दोनो खातेदार फौत हो चुके है उक्त भूमि मृतक भौरी व मोहरू को अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 19.8.99 के द्वारा प्राप्त हुई है। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के द्वारा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के पिता व दादी के नाम दर्ज हुई है। विवादित आराजीयात ख0न0 1017 के बाबत जब अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे निर्णय पारित कर दिया गया है तो पुनः अधिनस्थ न्यायालय को उसी भूमि के संबंध मे वाद सुनने का अधिकार प्राप्त नही होने के कारण ही प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र विधि के अनुसार ही पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किया गया है। अपीलांट यदि उक्त आदेश से प्रभावित था तो उसको धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश करनी चाहिए थी। जो उनके द्वारा नही कर वादी द्वारा उस भूमि को भी शामिल करते हुए नये सिरे से दावा अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय के क्षैत्राधिकार से प्रभावित होने के कारण व प्रकरण मे सुनवाई का क्षैत्राधिकार नही होने पर दावा वादी विधिक रूप से खारिज किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 1017 रकबा 0.33 के बाबत एक मुकदमा अधिनस्थ न्यायालय मे 110/98 मोहरू पुत्र नानगा व मु0भौरी बेवा नानगा द्वारा पेश किया गया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.8.99 को दावा वादी डिकी किया जाकर उक्त आराजीयात ख0न0 1017 का वादीगण मोहरू पुत्र नानगा व मु0 भौरी पत्नि नानगा को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। वादी द्वारा आराजी ख0न0 1017 के अलावा अन्य ख0नम्बरान के साथ वाद पत्र पेश किया जाकर उक्त आराजीयात 1018,1019,1020,1053,1054,1055,1052 स्थित ग्राम नौगांव के 1/2, 1/2, 1/2 अनुसार काबिज काश्तकार घोषित करने की प्रार्थना की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सम्पूर्ण दावा ही खारिज किया गया है। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक लक्ष्मण की मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। वादी द्वारा पूर्व मे वाद संख्या 110/98 मे अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया था। जबकि अन्य खातेदारान को भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है। जो निरस्त योग्य है। चूकिः

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर सम्पूर्ण दावा खारिज किया गया है जो विधिक रूप से सही नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः साक्ष्य सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 14/21 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.1.23 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मृतक लक्ष्मण के वारियान को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 27.03.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चत करे।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:41 IST
Reason: SelfAttested